Quest Journals
Journal of Education, Arts, Law and Multidisplinary
Volume 14 ~ Issue 1 (2024) pp: 07-11
ISSN(Online):2347-2895
www.questjournals.org

Research Paper

किशोरों ओर युवाओ मैं मादक पदार्थ एवं मद्यपान के सेवन का प्रभाव

Dr.ABHILASHASHARMA
FACULTYOFLAW
SAGEUNIVERSITYINDORE
INSTITUTEOFLAWANDLEGALSTUDIES

prof.Dr. Vishal Sharma
ph.D.LL.M. , M.A.(ECO.), M.A.(MASS COMM.)

किशोरों ओर युवाओ मैं मादक पदार्थ एवं मद्यपान के सेवन का प्रभाव

रविना निंगवाल
सेज यूनिवर्सिटी इंदोर

सारांश
किशोरों एवं युवा मे मद्यपान तथा मादक पदार्थो का इस्तेमाल पिछले कुछ वर्षो मे काफी बढ़ गया हे ज़्यादातर मादक पदार्थो का सेवन स्कूल कॉलेजो के छत्रों युवा किशोरों किशोरियाँ मे यह लत दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही हे जो उनके शरीर तथा मस्तिष्क पर पूरा प्रभाव डालती हे और अपराध करने के लिए प्रेरित करती हे सरकार द्वारा इन्हे नियंत्रित करेने के कानून बनाए गए हे लेकिन इसके बावजूद मद्यपान एवं मादक प्रदर्थो का व्यापार चल रहा है सरकार को इसे नियंत्रित करने के लिए सख्त कानून बनाना चाहिए ताकि बिक्री पर रोक लगाई जा सके , इसमे माता पिता एवं समाज का भी योगदान होना आवश्यक है

मुख्य शब्द - मद्यपान मादक पदार्थ किशोर अपराध NDPS Act,

प्रस्तावना

आज के मौजूदा समय में मद्यपान तथा मादक पदार्थों के सेवन की समस्या अपनी चरम सीमा पर है। सारा विश्व इस समस्या को लेकर चिंतित है। सरकार ने इसे लेकर काफी सख्त कानून और नियम बनायें हैं लेकिन इसके बावजूद यह लत एक जंगल की आग की तरह फैल चुकी है। मद्यपान तथा मादक पदार्थों का सेवन शनैः - शनैः किशोरों को अपनी गिरफ्त में ले रहा है एक बार इसकी लत होने पर वे इसके आदी हो जाते हैं और वे कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं जैसे - चोरी, अपहरण, बलात्कार मारपीट, लूट, हत्या तथा इकैती इत्यादि इसलिए इसका सम्बन्ध किशोर अपराध से भी है। कितने ही रोज अनगिनत अपराध हम अखबारों में पढ़ते हैं जो कि किशोरों द्वारा किये जाते हैं जिसे पढ़कर लगता है कि हमारे देश के किशोरों का भविष्य क्या होगा। इतना ही नहीं आजकल किशोरियों में भी मादक पदार्थों की लत देखने को मिल रही है। विवाहित और गृहस्थ जीवन की महिलाओं में भी यह प्रवृत्ति बढ़ रही है। अधिकांश सड़क दुर्घटनायें नशे का कारण बनती हैं। नशे की हालत में गाड़ी चलाना अपराध है और खतरनाक भी है।

अधिकतर पार्टियों में किशोर-किशोरियों को मद्यपान तथा मादक पदार्थों का सेवन करते देखा गया है। में स्कूल तथा कॉलेजों में छात्रों में इस लत को पाया गया है जो कि बढ़ती ही जा रही है और जो शरीर तथा मस्तिश्क के लिए हानिकारक है जिसे रोकना अत्यन्त आवश्यक है। सबसे पहले हम यह जानेंगे कि व्यसनी (Drug Addict) कौन होता है -

*Corresponding Author: RAVINA NINGAWAL 7page

स्वापक औषधियों और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (The Narcotic Drug and Psychotropic Substances Act, 1985) की परिभाषा में कहा गया है कि एक व्यक्ति जो स्वापक औषधियों और मनः प्रभावी पदार्थों के सेवन का आदी हो चुका हो। (A person who has dependence or any narcotic drug or psychotropic substance)

किशोरों के संदर्भ में यही कहा जा सकता है कि "जो भी बालक किसी प्रकार का नशा या मादक पदार्थों का नशा करता है वह मादक पदार्थों का व्यसनी कहा जा सकता है। यहाँ कुछ मादक पदार्थों को शामिल किया गया है -

मादक पदार्थ

गाँजा, कोको पत्री, भांग, कोकीन, अफीम, छोने के पौधों का रस, चरस, मेथाड्गीन शराब, मार्फिन इत्यादि। इसके अलावा और बहुत से मादक पदार्थ है जो बाजार में आसानी से चोरी छिपे उपलब्ध हो जाते हैं।

अन्य नशीले तथा मादक पदार्थों का सेवन तथा इसके प्रकार है जैसे खौसी का सीरप बाम, वाइटनर, दर्द निवारक ट्यूब, गोंद, पेंटस, गैसोलीन (पैट्रोल एवं घासलेट), गीले कार्बन पेपर फाइबर मैटिंग का घोल और टूथपेस्ट, गुल मंजन इत्यादि।

नशीले तथा मादक पदार्थों का इस्तेमाल का तरीका इस प्रकार है जैसे पीना सूधना चबाना, निगलना, श्वास नली द्वारा लेना तथा इंजेक्शन द्वारा लेना इत्यादि।

ये सब नशीले पदार्थ इस प्रकार के हैं जिनके सेवन करने से बालकों के शरीर तथा मस्तिष्क पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। उनकी सोचने समझने की शक्ति क्षीण होने लगती है तथा एच० आई० वी० एडस जैसे खतरनाक बीमारियों भी हो जाती है। इसके कारणों को जानना भी अति आवश्यक है जो इस प्रकार है-

मादक पदार्थों का युवा वर्ग में प्रभाव

पूरे विश्व में मादक पदार्थों के सेवन से सबसे ज्यादा किशोर वर्ग जूझ रहा है हमारा देश भी इसके सेवन अछूता नहीं है। यह पूरे विश्व की गम्भीर समस्या है जिसका प्रभाव भारत जैसे आदर्श देश पर भी अत्यधिक मात्रा में पड़ा है। आज की युवा पीढ़ी मादक पदार्थों के सेवन से अपने लक्ष्य को भूल रही है और वह अपने जीवन को बर्बाद करके अपने माता-पिता को भी दुःख दे रही है। मादक पदार्थों के सेवन से किशोर माता-पिता की आशाओं के विपरीत निकलने से स्वयं को उपहास का पात्र तो बनाते ही है लेकिन परिवार को भी तनाव ग्रसित करते है। युवा वर्ग में मादक पदार्थों के सेवन के प्रति रूझान के अनेकों कारण हैं जिन्हें दूर करने के लिए समाज के सभी समुदाय का कर्तव्य है कि इस बुराई को जड़ से खत्म करने के लिए युवा वर्ग के इन मादक पदार्थों के प्रति रूझान को खत्म करके समाज में एक अच्छा नागरिक बनाने में सम्पुर्ण मदद करने की कोशिश करें।

कारण -

युवा व किशोरों में मद्यपान तथा मादक पदार्थों के सेवन के अनेक कारण हो सकते है -

1- बदलते हुए समय को देखने से लगता है कि आज के किशोर अपने माता-पिता के नियंत्रण से बाहर है। माता-पिता को अधिकतर समय घर के बाहर काम करना पडता है इस कारण ये बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाते और बच्चे बुरी आदतों व नशे के आदी हो जाते हैं क्योंकि वे अपने आपको अकेला महसूस करने लगते हैं।

2 मद्यपान तथा मादक पदार्थों का सेवन आजकल एक फैशन बन गया है। घर से बाहर बुरी संगत या आवारा दोस्तों की संगत में फंसकर वे नशा करना सीख जाते हैं और शराब भी पीने लगते हैं।

3. अधिकतर घरों में देखा गया है कि माता-पिता में आपसी क्लेश रहता है। शराब पीकर मारपीट, गाली गलौच करना, बच्चों के साथ मारपीट करना, इन सबको बालक जब देखता है तो इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है और वह घर के बाहर दोस्तों में अपना सहारा ढूँढता है और नशा करने लगता है।

4. बच्चों को हम गलती करने पर डाँट देते हैं, मारते भी हैं लेकिन क्या हमने कभी इस बात पर भी गौर किया है कि आवश्यकता से अधिक लाड़-प्यार भी बच्चों के लिए नुकसान दायक साबित होता है। बच्चों की हर हर

छोटी, बड़ी इच्छाओं को पूरा करना, अत्याधिक पैसा देना, मँहगें फोन देना गाड़ियाँ इत्यादि देना आवश्यकता से अधिक वस्तुओं के मिल जाने से बच्चे बिगड़ जाते हैं। उनकी इच्छा पूरी करें लेकिन उतना जितना आवश्यक हो। अपने आस-पास जब बच्चा इन सब वस्तुओं को देखता है तो उसकी सोच और समझ भी उसी तरह की हो जाती है। ये सब चीजें न मिलने पर उन्हें परेशानी होने लगती है जैसे कि पैसा न मिलने पर वे चारी करने लगते है और मादक पदार्थों का सेवन करने लगते हैं।

5. चिकित्सा के क्षेत्र में देखा जाए तो अनेकों प्रकार की दवाईयों का उत्पादन कई प्रकार की बिमारियों को ठीक करने के लिए किया जाता है लेकिन कुछ दवाईयों ऐसी होती है जिनका इस्तेमाल बच्चे नशे के लिए करते हैं। अवैध स्वापक औषधियों का व्यापार एक गम्भीर समस्या है। इस व्यापार में लोग कई तरह के गलत काम करते हैं और कानूनों का उल्लंघन कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर इन स्वापक औषधियों को पहुँचाते है जिससे उन्हें काफी लाभ प्राप्त होता है। इन औषधियों का व्यापार इन्टरनेट के जरिए भी किया जाता है।

राष्ट्र संघ की एक रिपोर्ट में यह कहा गया है कि मादक पदार्थों के सेवन एक मादक औषधियों के दुरूपयोग के कारण उत्पन्न विपन्नता और अपराधों की बढ़ती संख्या को देखकर विश्व देशों की सरकारें यह अनुभव करने लगी है कि मादक वस्तुओं के विक्रय पर कानूनी रोक लगाना अति आवष्यक हो गया है।

नशीली एवं स्वापक औषधियों तथा मादक पदार्थों की बढ़ती हुई लत को ध्यान में रखते हुए भारतीय संसद ने स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (NDPS Act) पारित किया जिसके फलस्वरूप पूर्ववर्ती अफीम अधिनियम, 1878 तथा खतरनाक औशधि अधिनियम, 1930 (Dangerous Drugs Act, 1930) निरसित हो गए।

स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 जम्मू-कश्मीर क्षेत्र को छोड़कर सम्पूर्ण भारत में लागू है। इस अधिनियम की धारा 27 से 32 में दण्डित उपबन्ध दिये गये है। अधिनियम की धारा-क के अनुसार ऐसा अपराधी जो स्वापक औषधि का व्यसनी है या इसके अवैध व्यापार में लिप्त है न्यूनतम 10 वर्ष के कठोर कारावास जो 20 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है एवं न्यूनतम एक लाख तथा अधिकतम दो लाख रूपये से दण्डित किया जा सकता है।

इन्दौर, शहर में हर साल ड्रग्स की मांग में बढोत्तरी हो रही है। इन्दौर पुलिस के अकड़ो पर गौर किया जाए तो 2021 में 1337 और 2021 में 937 लोगो को पकड़ा गया था। यह आंकडा दो साल में लगभग दोगुना हो गया है। वर्ष 2023 में क्राइम ब्रांच द्वारा जारी किए गए अकड़ो के अनुसार इस साल के पहले छह महिने में क्राइम ब्रांच ने 43 एनडीपीएस एक्ट के केस दर्ज किए है जिसमें 73 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है।

पिछले सैट महीने में इंदौर 54 ड्रग्स सप्लाय पकड़े पुलिस ने 60 लाख की ड्रग्स बरामद की, डीसीपी क्राइम ब्रांच निमिष अग्रवाल ने बताया ड्रग्स के बढ़ते मामलो को बीच पुलिस की केसी तैयारियो

इन्दौर में पिहाले कुछ सालों में ड्रग्स शिकार हो रहे युवाओं की संख्या में काफी इजाफा हुआ है। लगातार स्वास्थ्य विभा विभाग और पुलिस के पास इस तरह के मामले आ रह जिम्मेदार भी मानने लगे है की शहर में ड्रग्स के आने में तेजी ये इजाफा हुआ है और इसी वजह से वे भी निपटने के लिए नई रणनीतियां बना रहे है। इस विषय में डीसीपी क्राइम ब्रांच निमिष अग्रवाल से बात की और जाना कि ड्रग्स में बढ़ते मामलों के बीच क्या है पुलिस की तैयारी, डीसीपी निमिष संगमले के अनुसार बाहर से इन्दौर शहर में पढ़ने आ रहे युवा लगातार इग्स के शिकार हो रहे हे तथा पेरंट्स ओर बच्चो को खुद भी इसके लिए जागरूक होना चाहिए। हम

भी अपने स्तर पर पुवाया के समय पर जागरुता अभियान चलाते हे दोस्तों के बीच कुछ समय की मस्ती के लिए लिया गया नशा पूरा जीवन बर्बाद कर सकता हे

जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी संदिग्ध तत्व स्कूलों के आसपास न भटके और बच्चे केमिस्ट की दुकानों के आसपास न नजर आएं। इसके साथ ही हम पार्की और ऐसे स्थानों की पहचान कर रहे है जहाँ नशे के सौदागर एकत्र होते हैं। उन्होंने कहा कि मादक द्रव्यों में सेवन पर अंकुश लगाने से शहर की अपराध दर में भारी गिरावट आ सकती

भारत सरकार द्वारा अनेको कानून पारित करके नशीली औषधियों तथा पदार्थों के अवैध व्यापार पर रोक लगाई है। इन कानूनों के प्रवर्तन से सम्बन्धित प्रमुख प्राधिकारी चुगी तथा आबकारी विभाग स्वापक आयुक्त (Narcotics Commissiner), केन्द्रिय जाँच ब्यूरो सीमा सुरक्षा बल तथा औषधि नियन्त्रक आदि है। राज्य स्तर पर यह कार्य आबकारी विभाग, पुलिस तथा औषधि नियंत्रण प्राधिकारियों द्वारा किया जाता है।

अन्त में यही कहा जा सकता है कि सरकार द्वारा इतने कानून बनाये जाने के बाद भी नशीले तथा मादक पदार्थों का अवैध व्यापार खूब घड़ल्ले से चल रहा है कितने ही इस व्यापार के लिए नये नये तरीकों को अपनाया जाता है, कितनी हत्यायें हो रही है। किशोरों में इनकी लत दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है जो शरीर तथा मस्तिष्क पर बुरा प्रभाव डालती है। एक बार इन मादक पदार्थों की लत लग जाये तो इससे छुटकारा पाना कठिन हो जाता है।

मैंने अपने शोध के दौरान कुछ किशोरों ओर युवाओ का व्यक्तिक अध्ययन किया जो कि इंदोर शहर के सम्प्रेक्षण गृह, तथा बाल-गृह जेल में किसी न किसी अपराध में लिप्त थे जैसे – चोरी, मारपीट, हत्या, बलात्कार, छीना झपटी, अपहरण इत्यादि और यह पाया गया कि इन किशोरों में मद्यपान तथा मादक पदार्थों का सेवन करने की लत थी जो कि शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक होती है। इन सबका अपराध के साथ बड़ा गहरा सम्बन्ध होता है जो कि बाल-अपराध को अजाम देते हैं।

बदलाव

व्यक्तिक अध्ययन (Case Study)

व्यक्तिगत अध्ययन संख्या. 11 -

मनोज (परिवर्तित नाम) की उम्र 18 वर्ष की है। इसके पिता रिक्शा चलाते है और माता सिलाई का काम करती है। यह गरीब परिवार से है। राजू ने चौथी कक्षा तक पढ़ाई की। माता-पिता से संबंध ठीक नहीं था। इसे हत्या के जुर्म में संप्रेक्षण गृह में लाया गया था जो इसने खुद किया था। पड़ोस का वातावरण ठीक नहीं था। राजू को मारधाड़ वाली फिल्में देखने का शौक था। इसके दोस्तों की संगति अच्छी नहीं थी। इसे गांजा पीने की लत थी। इसके दोस्तों की उम्र 17 से 18 वर्श की थी। राजू को गुस्सा बहुत ही जल्दी आ जाता था। इस अध्ययन में यही पाया गया कि बहुत कुछ प्रभाव फिल्मों का और कुसंगति का किषोरों पर पड़ता है। आजकल फिल्मों में मादक पदार्थों का सेवन करते दिखाया जाता है जिसका बुरा प्रभाव किशोरों पर पड़ता है और वे नशा जैसे मदयपान तथा मादक पदार्थों को लेने के आदी हो जाते हैं।

व्यक्तिगत अध्ययन खंड. 2 -

रविन (परिवर्तित नाम) की उम्र 10 वर्ष की है। फोन चोरी के जुर्म में सम्प्रेक्षण गृह में इसे लाया गया यह दूसरी कक्षा तक पढ़ा है। पिता गुब्बारे का काम करते हैं। मी बर्तन मॉजने का काम करती है। आशु का परिवार बहुत गरीब है। इसकी संगति भी अच्छी नहीं थी। दोस्तों के कहने पर मोबाइल चोरी किया। घर के पड़ोस का बातावरण भी खराब है। इसके दोस्त हुक्का पीते हैं और आशु भी सुपारी गुटका खाता है।

व्यक्तिगत अध्ययन संख्या. 3 -

मोहन (परिवर्तित नाम) की उम्र 16 वर्ष की है। इसने दसवीं कक्षा तक पढ़ाई की है। पिता पोस्ट आफिस में काम करते हैं। माता घर पर ही रहती है। मोहन को हत्या के जुर्म में संप्रेक्षण गृह में लाया गया। इस हत्या में उसके दोस्त भी शामिल थे। मोहन और उसके दोस्तों को मद्यपान तथा मादक पदार्थों का सेवन करने की लत थी। मेरे पूछने पर मोहन ने बताया कि यह हत्या उसने पैसा हासिल करने की वजह से की।

व्यक्तिगत अध्ययन खंड. 4 -

मनोहर (परिवर्तित नाम) की उम्र 24 वर्ष की है। यह इंदौर का रहने वाला है। यह चपरासी का काम करता था। शिक्षा चौथी कक्षा तक हुई। पिता गाई की नौकरी करते है व माता घर का काम देखती है। यह कई बार जेल जा चुका है। इसके दोस्तों की उम्र 23-24 वर्ष है जो कि ड्रग्स लेने के आदी है। इसे हत्या के प्रयास में इंदौर के स्पेशल होम में रखा गया है। मनोहर की ड्रग्स लेने की लत थी लेकिन अब वह ड्रग्स नहीं ले पाता। जब मैंने पूछा कि अब ड्रग्स न लेने पर कैसा महसूस करते हो तो उसने कहा कि अब वह पहले से अच्छा महसूस करता है और अब वह ड्रग्स नहीं लेना चाहता।

निष्कर्ष

इसलिए यह एक विश्वव्यापी समस्या है। इसका समाधान विभिन्न राष्ट्रों के सहयोग से किया जा सकता है। इसके लिए अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर और प्रयास करने की आवश्यकता है।

लोगों को इस नशे के लिए जागरूक करना होगा। इसका शरीर पर कितना बुरा प्रभाव पडता है यह बताना होगा। अवैध व्यापार तथा इसकी ब्रिकी पर रोक लगानी होगी। खास तौर पर स्कूलों और कॉलेजों पर ध्यान देना चाहिए। स्कूलों और कॉलेजों में नशे के विरूद्ध गोष्ठियों की जानी चाहिए तथा छात्रों को मादक पदार्थों के बारे में बताया जाना चाहिए कि उसके कितने बुरे प्रभाव शरीर पर पड़ते है इसके साथ-साथ अभिभावकों तथा माता-पिता को भी सचेत रहने की आवश्यकता है। उन्हें बच्चों पर ध्यान देना चाहिए कि वे कहाँ जाते हैं क्या करते है, किससे मिलते हैं। स्कूलों तथा कॉलेजों में निगरानी रखी जानी चाहिए। अध्यापकों को भी सजग रहने की आवष्यकता है। किसी भी तरह का बच्चों पर मादक पदार्थों के सेवन का शक हो या कोई गतिविधि ऐसी हो तो माता-पिता को बताना सबसे पहले आवश्यक है। इस प्रकार अध्यापकों, अभिभावकों, समाज तथा सरकार के सहयोग से किषोरों में बढ़ते मद्यपान तथा मादक पदार्थों के सेवन पर काबू पाया जा सकता है।

सन्दर्भ ग्रंथ

1. अपराध एवं बाल-अपराध की राष्ट्रीय परिषद की रिपोर्ट 1983 (A Report of National Council on crime and Delinquency U.S.A. 1983)

2. धारा 27- क सन् 1989 के संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई तथा इसे दिनांक 29 मई 1989 से लागू किया गया।